

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

322

क्रमांक : प.4(36) वित्त/राजस्व/96 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 6 DEC 2016

निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय: पॉलिसी जारी करने हेतु राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम - 8 के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 33ई/बीमा/व्य0एवंप0/2009-10/1029 दिनांक 17.11.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6)एफडी(रूल्स)/05 दिनांक 13.3.2006 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान), नियम 2006 में दिनांक 20.1.2006 एवम् उसके पश्चात् नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों के स्थिर वेतन (Fixed remuneration) में से राज्य बीमा की कोई कटौती नहीं किये जाने का प्रावधान किया गया है।

परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर उक्त प्रशिक्षणार्थी कार्मिकों का नियमितीकरण/स्थायीकरण किये जाने पर स्थिर वेतन के स्थान पर नियमित वेतन श्रृंखला में उनका स्थिरीकरण किया जाता है।

आपने अवगत कराया है कि अनेक जिलाधिकारियों ने इस संबंध में मार्ग दर्शन चाहा है कि दो वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने के पश्चात् कार्मिकों को स्थिर वेतन के स्थान पर उनकी नियमित वेतन श्रृंखला में स्थिरीकरण किये जाने की प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण जिन प्रकरणों में आगामी मार्च माह से बीमा की अनिवार्य कटौती प्रारम्भ नहीं होती है, क्या ऐसे प्रकरणों में कार्मिक के मार्च माह के ऐरियर बिल से अथवा वेतन स्थिरीकरण के तत्काल पश्चात् बनाये गये वेतन बिल से बीमा कटौती की जा सकती है। यह भी अवगत कराया गया है कि वर्ष 2006 से 2014 की अवधि में विभिन्न जिला कार्यालयों के द्वारा ऐसे प्रकरणों में पॉलिसी जारी की जाती रही है।

इस संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है :-

राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 का नियम 8 निम्नानुसार है :

8. Compulsory effecting of Insurance :- (1) Every person appointed under Rajasthan Service Rules to a substantive post whether permanently or temporarily under the Government, Zila parishad, panchayat samities or such organisation as specified by the Government by an order issued to that effect, shall effect insurance on his/her life by subscribing to the Insurance scheme of the department.

(2) The insurance shall be effected from the month of march of the financial year in which the said person is appointed.

(3) the effecting of insurance shall be subject to the condition that the employee is not suffering from Tuberculosis Bacillus, Asthama, Cancer, Diabetes, AIDS or any other serious disease notified by Government from time to time. He shall make a declaration to this effect in his first declaration form.

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

Note :- If the appointing authority or drawing and disbursing officer certifies on the salary bill for the month of march that there is no likelihood of a temporary Government servant or employee of Panchayat Samiti and Zila parishads becoming permanent he/she shall be exempted from the operation of rule 8 until the end of succeeding February.

तदनुसार, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.3.2006 एवम् बीमा नियम 8 के प्रावधानानुसार दिनांक 20.1.2006 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिक के परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तिथि के पश्चात् आने वाले मार्च माह के वेतन से बीमा कटौती किया जाना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ.4 (72)एफडी/राजस्व/94 दिनांक 10.09.1998 के द्वारा भी निम्न व्यवस्था दी गई है :

"Drawal of salary in time is part of duties of respective DDOs. Concern employees have no role to play in the matter. Similar contingency also arises in respect of the State Insurance of the employee and in that case the delayed recovery of premium is deemed to have been recovered on due dates."

अतः यदि किसी कार्मिक के परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर वेतन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में विलम्ब होता है, और मार्च माह के वेतन से बीमा कटौती ड्यू हो गयी है, तो निर्धारित समय पर उक्त वेतन आहरित नहीं करने की स्थिति में मार्च माह के वेतन ऐरियर से बीमा कटौती की जावेगी, चाहे उक्त ऐरियर कितने ही विलम्ब से आहरित क्यों नहीं किया जावे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त विलम्ब के कारण मार्च माह के वेतन ऐरियर से बीमा कटौती बिना ब्याज के की जावेगी।

बीमा पॉलिसी जारी करने के संबंध में कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु स्वयं अपने स्तर पर जिला कार्यालयों की शंकाओं का समाधान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का श्रम करें।

भवदीय

१ 26/11/16

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव,

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर

क्रमांक / एफ 35 ई / बीमा / व्य. एवं पं. / 2009-10 / 1080 / 1130

दिनांक 14/12/2016

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग सम्भाग कार्यालय.....

2. संयुक्त / उप / सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग जिला कार्यालय

(किशनाराम ईसरवाल)
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा)
मुख्यालय, राज. जयपुर।